41

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः–1381 /FP/UK/ROAD/7395/2015 दिनॉकःदेहरादून 03 नवम्बर, 2015

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठाखानी कठपतिया से दोबांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.935 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–शासन की पत्र संख्या–114/X-4-15/1(30)/2015 दिनांक 20–03–2015.

महोदय,

कृपया राज्य सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 9.870 हे0 ग्राम–दौबांस सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव देय धनराशि रू0 14,11,410.00 (रू0 चौदाह लाख ग्यारह हजार चार सौ दस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या–1149/सात–75/2014–15 दिनांक 15–06–2015 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–दौबांस, पट्टी–बन्दा, तहसील–पिथौरागढ़, जिला–पिथौरागढ़ में 9.870 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर दी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग के पत्र संख्या–1120/12–1 दिनांक 15–10–2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि को वन विभाग के कब्जे में ले लिया गया है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 22,00,000.00 (रू0 बाईस लाख) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 34,49,565.00 (रू0 चौतीस लाख उड़न्चास हजार पॉच सौ पैसठ) मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है।
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर की धनराशि प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। **(संलग्नक–2)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो में देय धनराशि रू0 70,60,975.00 (सतर लाख साठ हजार नौ सौ पिच्चहतर) मात्र को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा कर दिया गया है, जिसका RTGS नं0 ORBCH 15122047694 दिनांक 02–05–2015 एवं ORBCH 15264065228 दिनांक 29–09–2015 है। **(संलग्नक–3)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि जनपद–कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः—यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :-1381 /FP/UK/ROAD/7395/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकरी, जनपद–पिथौरागढ़।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के पत्र संख्या–11–306/2014–एफ0सी0 दिनांक 08–08–2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त मोटर मार्ग के संमरेखण में आने वाले वृक्षों के छपान/कटान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति निर्गत करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, पिथौरागढ़।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी